

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / १२३ /2021


दिनांक 22.04.2021

श्री सानुज कुलश्रेष्ठ (RJ0645). तत्कालीन वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर को दिनांक 05.03.2021 से 06.03.2021 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 07.03.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री कुलश्रेष्ठ की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


20.04.2021


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/13/2011/ 2614

दिनांक 22.04.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर को उनके पत्रांक 376 दिनांक 09.03.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्री सानुज कुलश्रेष्ठ (RJ0645), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर।


सहायक रजिस्ट्रार